न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–240/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00325)

1. दुश्यन्त मीना पुत्र शंकर मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम कचेरावाला उर्फ चौखल्यावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

01. छोटू पुत्र नानगा, जाति मीना, निवासी ग्राम आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 26.03.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 12.06.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह कहते हुये प्रस्तुत कर रखा था कि खसरा नम्बर 511 रकबा 1.01 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज तो है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 उक्त विवादग्रस्त आराजी पर कभी काबिज नही रहा है, विवादग्रस्त आराजी भूमि पर वादी का कब्जा काश्त अपने पूर्वजों से ही रहा है और वर्तमान में भी काबिज है, उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में बंजड़ किस्म टीले बने हुये थे जिसको वादी व उनके पूर्वजों द्वारा सही करवाया गया जिसमें लगभग लाखों रूपये का खर्चा किया गया उसके पश्चात् वादी द्वारा वर्तमान खेती की जा रही है जिसमें नीबू, शीशम, अरडू, आवंला आदि के वृक्ष लगे हुये है, वादी अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है तथा उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बखूबी थी क्योंकि वह अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वाद में दिनांक 27.09.2017 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो चुका था उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय से कब्जे के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये एवं अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वाद को छिपाते हुये षडयंत्रपूर्वक तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया है, जो विधि की मंशा के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के

का निस्तारण हो सकेगा यानि की अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य तो स्पष्ट आ चुका था की मौके पर पडौसी खातेदारान से विवाद है एवं मौके पर सीमा का विवाद भी है तथा तहसीलदार ने अपने जवाब मे अंकित किया था कि पडौसी खातेदारान को पक्षकारान नही बनाया गया है लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही एवं सीमा पर उत्पन्न विवाद को नजरअन्दाज करते हुये मनमाने एवं अवैधानिक रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन करने से साफ जाहिर होता है कि प्रश्नाधीन भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नही है बल्कि अपीलान्ट उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है एवं कब्जे के अभाव में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रश्नाधीन भूमि की पत्थरगढी नही करवा सकता एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पत्थरगढी के आदेश की आड़ में एक कब्जेधारी को विधि प्रक्रिया अपनाये बिना मौके से बेदखल नही किया जा सकता इसलिये कब्जे के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पत्थरगढ़ी का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है उसको पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया है जबकि प्राकृतिम न्याय का सिद्धान्त यह कहता है कि किसी भी प्रकरण में निर्णय पारित करने से पूर्व पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है, यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है अपीलान्ट अपीलाधीन भूमि के बारे में वास्तविक स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट करता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित भी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मु0 जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि राजस्व ग्राम कचेरावाला उर्फ चौखल्यावास पटवार हल्का कूकस, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 515 रकबा 0.39 हैक्टयर, खसरा नम्बर 511 रकबा 1.01

तहसीलदार आमेर के आदेश क्रमाक एल.आर./17/2698–99 दिनांक 15.05.2017 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.05.2017 को सीमाज्ञान किया जा चुका है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पड़ौसी खातेदारों द्वारा आये दिन मौके पर सीमा बाबत झगड़ा पसाद किया जा रहा है, एवं रेस्पोडेन्ट को जबरन हैरान परेशान किया जा रहा है इसलिये रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का पूर्व में तहसीलदार आमेर के आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान एवं विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षण करने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भूमि खसरा नंम्बर 515 रकबा 0.39 हैक्टयर, खसरा नम्बर 511 रकबा 1.01 हैक्टयर राजस्व रिकार्ड के अनुसार रेस्पोडन्ट की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2017 को हो चुका है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की आराजी पर पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.18 पारित किये गये है जिसकी पालना में पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक 04.07.18 को की जा चुकी है तथा फर्द मौका कार्यवाही पत्थरगढी दिनांक 04.07.2018 पर स्वयं अपीलान्ट द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जिससे स्पष्ट हो जाता है उक्त पत्थरगढी कार्यवाही से अपीलान्ट संतुष्ट रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.18 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।